# रेजीडेंट डॉक्टरों में दो फाड़, इन सर्विस रेजीडेंट काम पर लौटे

## फ्रेशर्स ने दी इमरजेंसी सेवाएं ठप करने की चेतावनी

- रेजीडेंट हड़ताल से एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों में मरीज परेशान

**जयपुर**,(कासं)। नई बॉन्ड नीति में संशोधन सहित अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों और सरकार के बीच बुधवार को भी गतिरोध बना रहा। इस बीच रेजीडेंट डॉक्टर्स दो धड़ों में बंट गए। इनमें से सेवारत रेजीडेंट सरकार की पॉलिसी के साथ आ गया है। गुरुवार से यह काम पर लौट आएंगे। दूसरी तरफ फ्रेशर्स रेजिडेंट ने चेतावनी दी है कि सरकार पिछले पांच दिन से कोई सकारात्मक बातचीत नहीं कर पा रही है। ऐसे में आंदोलन को तेज करते हुए इमरजेंसी सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी। बुधवार को विरोध स्वरूप एस एम एस मेडिकल कॉलेज से लेकर तीन मूर्ति सर्किल तक रैली निकालकर करीब एक घंटे प्रदर्शन किया। उधर रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर होने से एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमराने से मरीज परेशान हो रहे हैं।

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) के अध्यक्ष डॉ. नीरज डामोर ने बताया कि मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मांगों का निराकरण करने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने और रेजिडेंट यूनिटी को तोड़ने के लिए अलग अलग स्तर पर कूटनीतियां अपना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार का यही रुख रहा तो रेजीडेंट चिकित्सक इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करेंगे। इस पर आज रात होने वाली कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

उधर राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन वैभव गालरिया ने बताया कि सचिव राज्य सरकार के साथ समझौता वार्ता में सहमति बनने पर 85 प्रतिशत से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर काम पर लौटने का फैसला किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बुधवार रात आठ बजे से हड़ताल समाप्त कर दी है। गालरिया ने बताया कि समझौता वार्ता में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत सर्विस बॉन्ड को प्रवेश बेच 2020-21 व प्रवेश बेच 2021-22 के लिए एक बार की शिथिलता प्रदान करते हुए बॉन्ड राशि दस लाख रुपए करने और पूर्व अनुसार समय अवधि दो वर्ष करने पर सहमति हुई।

इसी प्रकार पीजी व सुपर स्पेशलिटी कोर्स के बाद बॉन्ड की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार की संविदा सेवाओं के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के उपरांत विचार किए जाने पर सहमति हुई।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद 7 से 10 कार्य दिवस के भीतर प्रवेश बैच 2020-21 एवं प्रवेश बैच 2021-22 के लिए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्षों से चर्चा और सहमति के बाद ही एसआरशिप के चयन की प्रणाली निर्धारित की जाएगी। जिसमें सभी रेजीडेंट डॉक्टर्स को एसआरशिप के समान अवसर मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 में कान्फ्रेंस नहीं होने के कारण बैच 2020 के लिए पेपर, पोस्टर व थिसिस में शिथिलता के लिए संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य स्तर पर प्रस्ताव एनएमसी व आर यू एच एस को भिजवाया जाएगा।

रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के दौरान उठाए गए अन्य समस्त बिंदुओं पर राज्य सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही इनसर्विस डॉक्टर के बॉन्ड की समय सीमा व राशि में शिथिलता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का प्रस्ताव भेजने का निर्णय भी लिया गया।

अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला का कहना है कि सेवारत रेजीडेंट ने सही कदम उठाया है। हैल्थ राज्य सरकार का विषय है और उसकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। इसके लिए जो बाण्ड पॉलिसी है, वह सभी पर लागू होनी चाहिए। जब इन सर्विस पर यह लागू होती है तो फ्रेशर्स पर क्यों नही? बाहर के राज्यों से यहां आकर पीजी करने वाले मेडिकल छात्रों को सरकारी सेवा में मरीजों की सेवा के लिए बॉण्ड साइन कराया जाता है तो इसमें परेशानी क्या है।

इन सर्विस रेजीडेंट डॉ. जितेन्द्र बगरिया का कहना है कि इन सर्विस रेजीडेंट चिकित्सकों ने सरकार के साथ हुए कई वार्ता के दौर के बाद सरकार की ओर से दिखाई गई शिथिलता, जिसमें उन्होंने नई बॉण्ड पॉलिसी में काफी तब्दीली कर दी है। सरकार ने पांच साल की अबधि को घटा कर 2 साल कर दिया है। साथ ही 25 लाख की राशि को भी घटा कर 5 लाख कर दिया है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोंण अपनाते हुए इन सर्विस पीजी करने वाले रेजीडेंट हडताल से हट कर काम पर लौट रहे हैं।

## बिना आरोप पत्र दिए निलंबन पर रोक

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज परिचालक पद पर कार्यरत कर्मचारी को बिना आरोप पत्र दिए निलंबन करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने मामले में रोडवेज के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुभाष चंद पंवार की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को गत एक सितंबर को अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के आधार पर निलंबित कर दिया और मुख्यालय धौलपुर आगार कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना टिकट यात्रा कराने के रिमॉर्क के आधार पर विभागीय कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन याचिकाकर्ता को निलंबन करने तक कोई आरोप पत्र ही जारी नहीं किया गया। जबकि निगम के स्थाई आदेश 35 के अनुसार निलंबन आदेश के साथ आरोप पत्र की कॉपी संलग्न किया जाना जरूरी है। याचिकाकर्ता को विभागीय जांच प्रस्तावित करने के आधार पर ही निलंबित किया गया है। जो कि निगम के स्थाई आदेश के खिलाफ है। ऐसे में उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

# विश्व आर्थराइटिस दिवस पर बाइक रैली निकाली

**जयपुर**। विश्व आर्थराइटिस दिवस के उपलक्ष्य में इंडस जयपुर हॉस्पिटल मानसरोवर एवं रोरिंग हॉक्स ग्रुप के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इंडस जयपुर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. शैलेन्द्र शर्मा व ग्रुप सीईओ डॉ.तेज कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को इंडस जयपुर हॉस्पिटल से रवाना किया।

बाइक रैली वीटी रोड चौराहे से घूम कर शिप्रापथ मार्ग से होते हुए वापस इंडस जयपुर हॉस्पिटल पहुंची। बाइक रैली में विश्व आर्थराइट्स के अवसर पर रोरिंग हॉक्स ग्रुप के राइडर्स एवं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व स्टाफ ने भाग लिया। साथ ही ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष डॉ.दिलीप मेहता द्वारा किये गये जटिलतम घुटना प्रत्यारोपण मरीजों को एवं अन्य ऑपरेशन किये गये मरीजों को भी आमंत्रित किया गया और स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा में वरिष्ठ स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश हरितवाल व वरिष्ठ ऑर्थोपैडिक रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष माथुर भी चर्चा में उपस्थित रहे। रोरिंग हॉक्स के राइडर्स को व मरीजों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रैली को सफल बनाने के लिए इंडसन जयपुर हॉस्पिटल के ग्रुप सीईओ डॉ. तेज कुमार शर्मा ने टीम का धन्यवाद दिया। रैली में अंशुल श्रीवास्तव (मार्केटिंग हैड), सत्यनारायण शर्मा (मैनेजर), नरेन्द्र शर्मा (मैनेजर), विक्रम सिंह (मैनेजर), राजेन्द्र चौधरी, गौरव शर्मा, आशीष यादव, पंकज शर्मा, सुहेल हसन, अरशद मिर्जा, गौरव कुमावत, दीक्षा शर्मा व हॉस्टिल टीम उपस्थित रही।

# 'प्रदेशाध्यक्ष की सहमति बिना भाजपा में एंट्री संभव नहीं'

- जॉइनिंग कमेटी के संयोजक अर्जुनराम मेघवाल व देवनानी सदस्य बने

**जयपुर**। भाजपा में नेताओं की जॉइनिंग और घर वापसी के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को पार्टी ने जॉइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। भाजपा जॉइनिंग कमेटी में अर्जुनराम मेघवाल के अलावा विधायक वासुदेव देवनानी सहित 4 से 5 नेता शामिल होंगे। यह कमेटी तय करेगी कि कोई नेता भाजपा में शामिल होगा या नहीं।

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा भी एक्शन मोड में आ गई है। जहां बड़े नेताओं की घर-वापसी की कोशिश शुरू हो गई है वहीं गहलोत सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलनों के साथ आगामी दिनों के पार्टी के कार्यक्रम और रणनीति पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। ऐसे ही रोडमैप के लिए जयपुर में मंगलवार को भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अब भी एक साल से अधिक का वक्त बाकी है, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनावों में 200 में से 180 सीटें और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में 25 में से 25 सीटें जितने के लक्ष्य को लेकर भाजपा ने अभी से रोडमैप बनाना शुरू कर दिया है। 4 सालों में अलग-अलग कारणों से पार्टी छोड़कर गए कद्दावर नेताओं की घर वापसी को लेकर भी पार्टी ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। हालांकि प्रभारी अरुण सिंह ने साफ़ कर दिया कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की सहमति के बिना किसी की एंट्री संभव नहीं है। इसमें वसुंधरा राजे समर्थक पूर्व मंत्री और सात बार के विधायक देवी सिंह भाटी भी शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पिछले लोकसभा चुनाव में फिर से टिकट दिए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले देवी सिंह भाटी के भाजपा में जॉइनिंग से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन पदाधिकारी असहज हो सकते हैं, यही कारण है कि इसे पार्टी में आने से पहले ही उनके अनुशासनहीनता के तौर पर देखा गया।

# एडीजे सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा में अधिवक्ता कोटे की सीटों को नहीं भरने पर रोष जताया

**जयपुर**। एडीजे सीधी भर्ती मुख्य परीक्षा में अधिवक्ता कोटा की सीटों को न भरे जाने के विरुद्ध अधिवक्ता समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। एडीजे भर्ती परीक्षा 2021 में अधिवक्ता कोटे की 85 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। प्री परीक्षा पास करके 780 अधिवक्ता मेंस परीक्षा में सम्मिलित हुए।

सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 अक्टूबर को घोषित किया जिसमें सिर्फ 4 अधिवक्ता को इंटरव्यू हेतु काल किया गया। पूर्व की एडीजे भर्ती परीक्षा में भी अधिवक्ता कोटा की सीटों को नही भरा गया था। अधिवक्ता कोटा की खाली सीटो को जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा एडहॉक प्रोमोशन से भर दिया जाता है। इस परीक्षा की कॉपी भी उन जिला जज द्वारा जांची गयी जिन्होंने वकील कोटा की सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गयी तथा जिनके भाई भतीजो को वकील कोटा की सीटों पर एडहॉक प्रोमोशन से एडीजे बनाया जाना प्रस्तावित है। यह संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय के साथ अन्याय है। इसके विरूद्ध सम्पूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता समूहों में रोष है।

एडीजे भर्ती में अधिवक्ता कोटे की सीटों को भरने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट परिसर में बुधवार को धरना दिया।

- अधिवक्ता कोटा की खाली सीटों को जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा एडहॉक प्रमोशन से भर दिया जाता है।

अधिवक्ताओं द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देकर 85 पोस्ट के तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने एवं समस्त 85 पोस्ट भरने की मांग की गयी। पूर्व की भर्ती परीक्षा 2018 में भी अधिवक्ता कोटा की 48 सीटों में से 5 पद भरे गए थे तथा शेष पदों को जुडिशियल ऑफिसर द्वारा भर दिया गया था।

एडीजे भर्ती संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट परिसर में धरना शुरू कर दिया गया है।

## डॉ.पूनिया आज से गुजरात दौरे पर

**जयपुर**। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया 13 और 14 अक्टूबर को गुजरात प्रवास पर रहेंगे। जहां वह 13 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानियों द्वारा आयोजित सूरत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अभिवादन समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में शाम 7 बजे प्रवासी राजस्थानियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्षओम बिरला, गुजरात के राज्यपालआचार्य देवव्रत, डॉ. सतीश पूनिया, गुजरात भाजपा प्रदेशाध्यक्षसी आर पाटिल, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, दर्शना बेन जरदोष, कैलाश चौधरी इत्यादि शामिल होंगे।

**तीये की बैठक**

मेरे पूजनीय पिताजी
ठा. सा. श्री रामचन्द्र सिंह जी चौहान
जिनका स्वर्गवास 11.10.2022 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 13.10.2022 को 2:00 से 4:00 बजे तक निवास स्थान- ठि. दयालसिंह जी बाबोसा की ढाणी, ग्राम विनोदीलालपुरा तह. चाकसू, जयपुर पर होगी।
**शोकाकुल**- शंकर सिंह चौहान (पुत्र), ठा. नेत्रपाल सिंह, मान सिंह, अजयपाल सिंह (भ्राता), गोविन्द सिंह, कु. भंवर सिंह, सुमेर सिंह, बिशन सिंह, विजेन्द्र सिंह (भतीजे), तनुवेन्द्र सिंह (पौत्र) एवं समस्त चौहान परिवार।
9414501230, 9413777792

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

# किसानों के ऋण से संबंधित जानकारी के लिए बनाया जाएगा कॉल सेंटर

**जयपुर**, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता, श्रेया गुहा ने बुधवार को केंद्रीय सहकारी बैंक जयपुर की हरमाडा ब्रांच एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति जैतपुरा का निरीक्षण किया एवं उनकी गतिविधियों एवं कार्यकलापों के बारें में जानकारी ली।

गुहा ने केन्द्रीय सहकारी बैंक की हरमाडा ब्रांच की विजिट के दौरान किसानों को अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण, व्यक्तिगत ऋण एवं आवास ऋण वितरण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रबन्ध निदेशक अपेक्स बैंक बृजेन्द्र राजोरिया को निर्देश दिया कि अपेक्स बैंक के स्तर पर एक कॉल सेंटर खोला जाए। जिस पर किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को ऋण एवं उनसे संबंधित जानकारीयां प्राप्त हो सके एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

गुहा ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग के लाइसेंस के लिए अपेक्स बैंक प्रक्रिया शुरू कर सभी बैंकों को लाईसेंस दिलाने में मदद करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ें एवं उन्हें बैंक व सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने केंद्रीय सहकारी बैंक की ब्रांच एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति की गतिविधियों का निरीक्षण किया।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता ने आजादी से पूर्व जून, 1947 में पंजीकृत जैतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति की गतिविधियां देखी एवं उसके कार्यकलापों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों एवं किसानों से वार्ता की एवं उनके सुझाव भी सुने।

उन्होंने प्रबंध निदेशक, सीसीबी, जयपुर एम. एल. गुर्जर को निर्देश दिए कि समिति के लिए कंज्यूमर शॉप के लिए प्रस्ताव भिजवाएं ताकि समिति के व्यवसाय में वृद्धि हो सके। उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग एवं खेती-किसानी के बारे में जानकारी ली।

# ज्यादती करने वाले को बीस साल की सजा

**जयपुर**, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने आठ साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त भूरा उर्फ सलीम को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने अपनी बेटी की आठ साल की सहेली के साथ ज्यादती की है। उसके कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीडिता के पिता ने भट्टा बस्ती पुलिस थाने में 13 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ौस में रहने वाले अभियुक्त की बेटी उसकी नाबालिग बेटी की सहेली है। अभियुक्त उसकी बेटी सहित एक अन्य बच्ची को अपने घर में खेलने के लिए लेकर गया था, लेकिन घर पर अभियुक्त की बेटी नहीं थी और उसकी पत्नी भी पीहर गई हुई थी। इसके बावजूद अभियुक्त ने दोनों को रोक लिया और कपडे खोलकर उनसे गंदी हरकतें करने लगा। वहीं उन्हें धमकाया कि यदि वहां से गई तो उन्हें हौद में डालकर मार देगा।

## दादी जमना देवी के साथ हुई क्रूरता लोमहर्षक : शेखावत

**जयपुर**। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में 108 साल की दादी के साथ घटी घटना पर उन्होंने कहा कि जमना देवी के साथ हुई क्रूरता लोमहर्षक है। यह राज्य में फैल रही आपराधिक प्रवृत्ति का एक और दुर्भाग्यजनक उदाहरण है। शेखावत ने पूछा कि क्यों अपराध के दंड का भय कम होता जा रहा है? जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए, लेकिन गहलोत मौन रहेंगे, बदले में उनके समर्थक कहेंगे "इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती? अपराधियों से बचने का काम तो जनता का है।"

## 'समाज को बदलने में अधिवक्ता की मुखर भूमिका हो सकती है'

**जयपुर**। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि समाज को बदलने में यदि किसी की मुखर भूमिका हो सकती है तो वो हमारा अधिवक्ता है।

राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा प्रदेश में जंगलराज एवं भ्रष्टाचार चरम पर है, तुष्टिकरण वाली निर्बल गहलोत सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगा रही है, आप प्रदेश एवं राष्ट्रहित में कार्यकर्ताओं की पूरी मदद करें। प्रदेश सह-प्रभारीविजया राहठकर ने राष्ट्र पुनः निर्माण में भाजपा के योगदान पर अपना उद्धबोधन दिया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि एकजुट भारत एवं नागरिकों में कर्तव्य की भावना का विकास भाजपा के नए आयाम सेवा की बदौलत स्थापित करना एवं संगठन की संरचना प्रत्येक बार एसोसिएशन तक करना।

**आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री कमालुद्दीन एवं श्रीमती शकूरन पत्नी श्री अब्दुल रशीद, निवासीगण-प्लॉट नम्बर 7-बी, रहीम कॉलोनी, पंचहनुमान की गली, चार दरवाजा बाहर, जयपुर के पुत्र जावेद उनके कहे में नही है व उनकी बात नही मानता है तथा वर्ष 2005 से मेरे अभिभाष्यगण से अलग निवास कर रहा है। इसलिये मेरे अभिभाष्यगण काफी दुखी है और उन्होंने अपने पुत्र जावेद को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते हुये उससे अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये है। जावेद द्वारा आज से पूर्व किसी भी व्यक्ति से किया गया लेन देन व भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र से कोई लेन देन करेगा या सम्बन्ध रखेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर (सय्यद शकील अहमद) एडवोकेट
दिनांक-12.10.2022 मो.न.9413418056, 9024792334

**अंतिम सूचना**
आमजन को सूचित किया जाता है कि श्रीमान समीर जैन (पूर्व अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय) का कार्यालय 'समीर जैन एण्ड कम्पनी' बंद कर दिया गया है, जिसकी सूचना सभी मुवक्किलों को पूर्व में दे दी गई थी। समस्त मुवक्किलों सरकारी / गैर सरकारी कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे अपनी पत्रावलियाँ / दस्तावेजात / कागजात इत्यादि इस विज्ञप्ति के सात दिवस के अन्दर निम्न से प्राप्त कर लें तत्पश्चात पत्रावलियाँ / दस्तावेजात / कागजात इत्यादि को नष्ट कर दिया जावेगा एवं किसी प्रकार की जिम्मेदारी समीर जैन एण्ड कम्पनी की नहीं होगी।
मोहन सिंह बडगजर 9414043513
एडवोकेट दक्ष पारिक 9928174238
जी-1, यूनिक अलकनंदा अर्पाटमेंट, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर

**आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यह कि एक मकान जिसका पता: सी-111, एआरजी पुरम्, आगरा रोड़, कानोता, जयपुर, राज. में स्थित है जिस पर मेरी माताजी श्रीमती कुसुम देवी ने एचडीएफसी लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त मकान के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड में रहन (Mortgage) कर रखे हैं। यह कि मेरी माताजी श्रीमती कुसुम देवी का दिनांक 18.09.2022 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त मकान के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये मैं अब उक्त फ्लैट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहता हूँ यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी लिमिटेड, सी-25, भगवान दास रोड़, सी-स्कीम, जयपुर, फोन नं. 0141-6480799 पर सम्पर्क करें। सूचित रहे।
निवासी- गौरव जैन, सी-111, एआरजी पुरम्, आगरा रोड़, कानोता, जयपुर, राज.
दिनांक 11.10.2022 मोबाईल नम्बर 8619657765

**नाम परिवर्तन**

मैंने अपना नाम मोहम्मद युसुफ से बदलकर मोहम्मद युसुफ मंसूरी रख लिया है। भविष्य में मुझे मोहम्मद युसुफ मंसूरी पुत्र अब्दुल कदीर मंसूरी के नाम से जाना जावे। पता-761, शार्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार जयपुर (राजस्थान)

मैंने अपना नाम देवेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह सिंह से बदलकर देवेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। पता-159, पर्तो का चौडा, मियाला खेत, थानेटा अजीतगढ भीम, थानेटा, राजसमंद

I Heena Kousar W/o Shakir Ahmed 2440, Ilahi Ji Ki Haveli Mohalla Pahadganj Jaipur have changed my name as Heena Ahmed.

I have changed my name from Harish Chander Ganda to Harish Chand Ganda S/o Bhagwan Das Ganda for all purpose. Resi.: Plot 202, Bhag Singh Ka Choraha, Adarsh Nagar, Jaipur.

In Army Service record my Son's name Kendre Prathik Ganesh is wrongly recoreded. Correct is Partik Ganesh Kendra. In future known as Pratik Ganesh Kendre S/o Army No. 15170083P L/Hav. Kendre Ganesh Rao R/o Vill-Malihapparga Jalkot, Latur, Maharashtra 413532.

**खोया पाया**

मेरे पति के नाम प्लाट नं. ए-70 करीम नगर विस्तार खोह नागोरियान जयपुर का मूल आवंटन पत्र अक्सा मस्जिद खोह नागोरियान पर दिनांक 21.9.22 को खो गया है मिलने पर सूचित करें। जैतून बेगम, मो. 9783601564

मेरे आवास संख्या 2/256 जवाहर नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं खो गया है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो.8114404965

शिव शंकर हाऊसिंग को ऑपरेटिव सोसायटी जयपुर की आवासीय योजना पशुपतिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या 125 का सोसायटी का अलॉटमेंट लेटर, साईट प्लान और रसीद गुम हो गई है। सूचित करें बीना रानी 9653941421

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 31/2022
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि महन्त लक्ष्मण दास स्वामी ने प्रन्यास मन्दिर श्री दादुद्वारा छचौक्या (रामोला) नरायणा तह. फुलेरा जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास मण्डल में परिवर्तन कर महन्त बजरंगदास स्वामी के निधन होने के उपरांत उनके स्थान पर महंत लक्ष्मण दास स्वामी को प्रन्यास को कार्यवाहक प्रन्यासी मनोनीत कर उनके नाम को दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अत एव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तिया, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 17.11.2022
रतन लाल योगी
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 41 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 2/2022
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि महन्त सिद्धार्थ गोस्वामी, कार्यवाहक प्रन्यासी निवासी, मंदिर श्री गोपीनाथ जी पुरानी बस्ती, जयपुर ने प्रन्यास मंदिर श्री कल्याणजी, कल्याण जी रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 41 के अन्तर्गत ने प्रन्यास में वर्तमान कार्यवाहक प्रन्यासी महन्त बल्लभलाल देव गोस्वामी के देहान्त होने कारण विधान अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वयं का कार्यवाहक प्रन्यासी का नाम को दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए में आवेदन पत्र दिया है।
अत एव धारा 41 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन कार्यवाहक प्रन्यासी के संबंध में जांच की जा रही है। प्रन्यास में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तिया, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 18.11.2022
रतन लाल योगी
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 57/2022
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रामअवतार मेहरा, कार्यवाहक प्रन्यासी निवासी, नानग राम मेहरा, 49 मेहरा बस्ती, कर्बला चौराहा, रामगढ मोड, ब्रह्मपुरी जयपुर ने प्रन्यास मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव व हनुमान जी का मंदिर मेहरा समाज, रामगढ मोड़, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत ने प्रन्यास में वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गोपाल मेहरा के देहान्त होने कारण श्री रामअवतार मेहरा को नवीन अध्यक्ष तथा नवीन पदाधिकारियों को मनोनीत कर उनके नामों को दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अत एव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तिया, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 31.10.2022
रतन लाल योगी
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत